6/8/25

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप.।
वकील वादी वाद को आगे नहीं चलाना
चाहता है। वकील वादी द्वारा वाद को
जरिये Not Prees खारिज करने का
निवेदन किया।

अतः वाद जरिये Not Prees
खारिज किया जाता है। पत्रावली [illegible]
शुमार होकर नम्बर कम की जाती है।

Not Prees

प्रस्तुतकर्ता
विद्वान अधिवक्ता AdV.
26/9/17

सेवामें

श्रीमान सहायक कलेक्टर एवम

उपखण्ड अधिकारी महोदय ओसियाँ

राजस्व वाद सख्या /2017

तारीख प्रस्तुती

वादीगण :–

1. प्रेमाराम पुत्र श्री खुमाराम
2. भीखाराम पुत्र श्री खुमाराम जाति जाट निवासी ग्रम पडासला तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. नैनाराम पुत्र श्री मोटाराम उर्फ मोतीराम
2. कुम्भाराम पुत्र श्री मोटाराम उर्फ मोतीराम फौत के कायम मुकाम :–

2/1 पुनी पत्नी श्री कुम्भाराम

2/2 पुष्पा पुत्री श्री कुम्भाराम

2/3 चैनाराम पुत्र श्री कुम्भाराम

2/4 गीता पुत्री श्री कुम्भाराम उपरोक्त प्रतिवादीगण सख्या 2/3 व 2/4 नाबालिक जरिये कुदरती वलिये माता पुनी पत्नी श्री कुम्भाराम

3. जेठाराम पुत्र श्री आदूराम सभी जाति जाट निवासी ग्रम पडासला तहसील ओसियाँ जिला जोधपुर

OATH COMMISSIONER
Civil/Rev./Criminal
OSIAN

भीखाराम प्रेमाराम

4. सरकार जरिये तहसीलदार ओसियॉं जिला जोधपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मान्यवरजी

वादीगण की ओर से निम्न निवेदन है :—

1. यह है कि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्रम पडासला की सरहद में स्थित खेत खसरा सख्या 456 (चार सौ छपन) रकबा 01 (एक) बीघा 14 (चौदह) विश्वा, खसरा सख्या 669 (छ सो उनसितर) रकबा 01 (एक) बीघा 15 (पन्द्रह) बिश्वा, खसरा सख्या 731 (सात सौ इक्तीस) रकबा 04 (चार) बीघा 05 (पॉच) बिश्वा, खसरा सख्या 790 (सात सौ नब्बे) रकबा 132 (एक सौ बतीस) बीघा 03 (तीन) बिश्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 (एक) से 03 (तीन) की 1/8 (एक बटटा आठ) हिस्से की सयुक्त व कब्जा काश्त सुदा आयी हुई है। उक्त हिस्से की भूमि को वादपत्र के आगामी पदो में वादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जावेगा। चालू जमाबन्दी की नकल सलग्न वादपत्र पेश है।

2. यह है कि वादग्रस्त भूमि के 1/8 (एक बटटा आठ) हिस्से के खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 का वंशावली वंश वृक्ष निम्न प्रकार से है :—

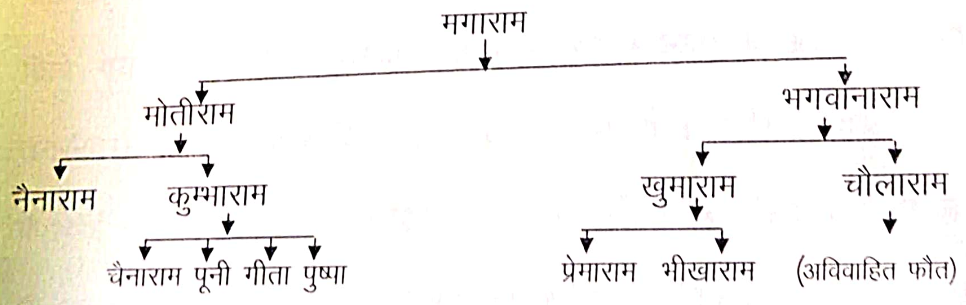

उपरोक्त वंशावली वंश वृक्ष के अनुसार वादग्रस्त भूमि के में 1/8 (एक बटटा आठ) हिस्से के खातेदार वादीगण के पिता खुमाराम व उनके भाई चोलाराम व प्रतिवादीगण सख्या 01 (एक) व प्रतिवादीगण सख्या 01 (एक) के

OATH COMMISSIONER
Civil/Rev/Criminal
...LAN

भीखाराम प्रेमाराम

भाई श्री कुम्भाराम जी थे वादीगण के पिता के भाई चौलाराम पुत्र श्री भगवानाराम जी थे जो कि वादीगण के पिता के जीवनकाल में ही फौत हो गये थे जो अविवाहित थे जिन्होने अपने जीवनकाल में किसी से शादी या नाता नही किया था तथा चोलाराम जी ने अपने जीवनकाल में न तो किसी को दतक ले रखा था न ही वसियत आदि ही की थी यानि चौलाराम जी का देहान्त निर्वसियत ही हुआ था। जिनके प्रथम श्रेणी के कोई उतराधिकारी नही होने से द्वितीय श्रेणी के उतराधिकारी वादीगण के पिता श्री खुमाराम ही थे इसलिए चोलाराम जी के देहान्त के बाद नामान्तरणकरण सख्या 368 (तीन सौ अडसठ) व 369 (तीन सौ उनसीतर) स्वीकार किये गये जिसमें चौलाराम के देहान्त के पश्चात वादीगण के पिता श्री खुमाराम का नाम दर्ज किया गया । उक्त नामान्तरणकरण सख्या 368 (तीन सौ अडसठ) व 369 (तीन सौ उनसीतर) की प्रति वादपत्र के साथ पेश है।

3. यह है कि वादग्रस्त भूमि का नामान्तरणकरण संख्या 572 (पॉच सौ बाहेतर) स्व श्री चोलारामजी के देहान्त के 08 वर्ष पश्चात दिनॉक 29.01.1985 (उन्तीस जनवरी उन्नीसौ पीच्यासी) को भरा गया था जिसमें राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश वादग्रस्त भूमि के खातेदार चौलाराम जी अविवाहित होने के बावजूद गवरी बेवा चोलाराम नाम अकित कर दिया जबकि चौलाराम जी ने अपने जीवनकाल में किसी से भी विवाह नाता आदि नही किया था जो पूर्व में दर्ज किये गये नामान्तरकरण सख्या 368 (तीन सौ अडसठ) व 369 (तीन सौ उनसीतर) से स्पष्टतया साबित है। इसलिए स्व श्री चोलाराम जी के प्रथम श्रेणी के कोई वारिसान नही होने से द्वितीय श्रेणी के वारिसान वादीगण के पिता स्व श्री खुमाराम जी थे तत्पश्चात वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त है जिससे वादग्रस्त भूमि में गवरी बेवा श्री चोलाराम के नाम के स्थान पर वादीगण का नाम घोषित किये जाने बाबत यह घोषणा का वादपत्र बरखिलाफ प्रतिवादीगण हमरा पेश है।

OATH COMMISSIONER
/Criminal

4. यह है कि वादग्रस्त भूमि में स्व श्री चौलाराम जी के देहान्त के पश्चात राजस्व कर्मचारियो के द्वारा गवरी बेवा चोलाराम नाम की कोई औरत नही होने के बावजूद भी गलत व मनगढत नाम अकित कर दिया जबकि चौलाराम के कोई पत्नी नही थी, जो अविवाहित ही थे यदि उक्त गवरी देवी का नाम राजस्व रेकर्ड से हटाकर वादीगण के नाम से घोषित किया जाता हैं तो प्रतिवादीगण के हितो पर कोई विपरीत प्रभाव नही पडेगा क्योकि पूर्व में स्वीकार किये गये नामान्तरकरण सख्या 368 (तीन सौ अडसठ) व 369 (तीन सौ उनसीतर) भी वादीगण के पिता श्री खुमाराम के नाम से दर्ज किया जा चुका है। व वादर्गस्त भूमि में चौलाराम के कब्जा सुद भूमि पर भी चौलाराम जी के देहान्त के पश्चात वादीगण के पिता श्री खुमाराम व खुमाराम जी के देहान्त के पश्चात वादीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा काश्त है व वादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकार प्राप्त है।

5. यह है कि वादीगण सख्या 01 (एक) के द्वारा वादग्रस्त भूमि में राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा सख्या 456 (चार सौ छप्पन) व 669 (छ सौ उनसीतर) में से अपने सम्पूर्ण हिस्से की भूमि का बेचान प्रतिवादीगण सख्या 03 (तीन) जेठाराम पुत्र श्री आदूराम को कर दिया है जिस पर प्रतिवादीगण सख्या 03 (तीन) के पक्ष में किये गये बेचाननामा के आधार पर नामान्तरणकरण सख्या 2183 (दो हजार एक सौ तैयासी) स्वीकार किया जाकर उक्त खसरा की भूमि में वादीगण सख्या 01 (एक) के स्थान पर प्रतिवादीगण सख्या 03 (तीन) का नाम दर्ज किया गया । इसलिए प्रतिवादीगण सख्या 03 (तीन) को वादपत्र में पक्षकार बनाया गया है।

6. यह है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 01 (एक) से 04 (चार) के अलावा अन्य सहखातेदारो की सयुक्त खातेदारी की आयी हुई है लेकिन वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में अलग से हिस्से दर्ज हैं राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में 1/8 (एक बटटा आठ) हिस्से के खातेदार वादीगण व प्रतिवादीगण सख्या 01 (एक) से 03 (तीन) के नाम दर्ज हैं इसलिए 1/8 (एक बटटा आठ)

COMMISSIONER /Criminal

भीखाराम खुमाराम

हिस्से के खातेदारो के मध्य ही वादपत्र पेश किया जा रहा हैं अन्य सहखातेदारो के उक्त वादपत्र से किसी प्रकार के कोई हित प्रभावित नही होते है इसलिए उक्त खातेदारो का वादपत्र में पक्षकार नही बनाया गया है।

7- यह है कि नामान्तरणकरण सख्या 572 (पॉच सौ बाहेतर) को स्वीकार करते समय राजस्व कर्मचारियो की त्रुटिवश चोलाराम जी के अविवाहित होने के बावजूद गवरी बेवा चोलाराम का नाम अकित किया गया है जबकि चोलाराम जी अविवाहित थे जिनके कोई पत्नी नही थी इसलिए उक्त नामान्तरणकरण सख्या 572 (पॉच सौ बाहेतर) वादीगण के हक हकूको के विपरीत स्वीकार किया गया होने से शुन्य है। इसलिए नामान्तरणकरण सख्या 572 (पॉच सौ बाहेतर) गलत तथ्यो के आधार पर स्वीकार किया गया होने से शुन्य घोषित कर वादग्रस्त भूमि के चोलाराम के स्थान पर वादीगण को खातेदार घोषित करने बाबत वाद हमरा पेश है।

8- यह है कि वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में लिपिकिय त्रुटिवश चोलाराम जी अविवाहित होते हुए भी चोलाराम की पत्नी का नाम गवरी गलत दर्ज कर दिया गया है गवरी बेवा श्री चोलाराम नाम की कोई औरत वादग्रस्त भूमि में खातेदारो में नही है । उक्त मिथ्या नाम अकित होने से वादीगण को अनेक कठिनाईयो का सामना करना पड रहा है। उक्त त्रुटि चोलाराम जी के देहान्त के तुरन्त पश्चात स्वीकार किया गये नामान्तरकरण सख्या 368 (तीन सौ अडसठ) व 369 (तीन सौ उनसीतर) से स्पष्ट रूप साबित है कि उक्त त्रुटि केवल मात्र लिपिकिय त्रुटि जिसे दुरूस्त नही किया गया तो वादीगण को अनेक कठिनाईयो को सामना करना पडेगा जिससे वादी को अपूर्णीय क्षति होगी तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादीगण के पक्ष में बनता है। वादग्रस्त भूमि वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि होने से प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला वादीगण के पक्ष में बनता है।

OATH COMMISSIONER
Rev./Criminal
OSIAN

प्रेमाराम

9- यह है कि वादी गॉव का अनपढ व्यक्ति होने से वादी को राजस्व रेकर्ड की व उक्त नामान्तरणकरण की जानकारी इतने वर्षो तक नही हो पायी वादीगण ने वादग्रस्त भूमि का बटवाडा करवाने बाबत जमाबन्दी व नामान्तरणकरण की नकल प्राप्त कर प्रतिवादी संख्या 04 (चार) के समक्ष राजस्व रेकर्ड में गवरी का नाम हटाने बाबत प्रार्थना पत्र दिनॉक 13.09.2017 (तेरह सितम्बर दो हजार सत्रह) श्रीमान तहसीलदार ओसियॉ के समक्ष पेश किया लेकिन तहसीलदार ओसियॉ ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यो के आधार वादपत्र पेश करने की हिदायत दी तो वादी को विवश होकर यह वादपत्र माननीय न्यायालय में पेश करना पड रहा है।

10- यह है कि बिनाय दावा दिनॉक 13.09.2017 (तेरह जुलाई दो हजार सत्रह) .को वादीगण द्वारा हल्का पटवारी से जमाबन्दी की नकल लेकर तहसीलदार ओसियॉ के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश किया तथा तहसीलदार ओसियॉ के द्वारा सुनवाई से इन्कार किया व सक्षम न्यायालय में वादपत्र पेश करने की हिदायत दी तब ग्राम पडासला में उत्पन्न हुआ जो आज भी बिनाय दावा विद्यमान है तथा दावा अन्दर म्याद पेश है।

11- यह है कि वादग्रस्त भूमि ग्रम पडासला में स्थित होने तथा दावा घोषणा व रेकर्ड दुरूस्ती का होने से माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार मे है

12- यह है कि नियमानुसार न्यायालय शुल्क रूपये 02 (दो) के अलावा तलबाना भी पेश है।

13- ईस्तदुआ वादीगण निम्न प्रकार से है :–

1. यह है कि घोषणा की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सख्या 04 (चार) इस आशय की सादिर फरमायी जावे कि वादग्रस्त भूमि तहसील ओसियॉ के राजस्व ग्रम पडासला की सरहद में स्थित खेत खसरा सख्या 456 (चार सौ छप्पन) रकबा 01 (एक) बीघा 14 (चौदह) बिश्वा, खसरा

COMMISSIONER
Rev./Criminal
…STHAN

सख्या 669 (चार सौ उनसीतर) रकबा 01 (एक) वीघा 15 (पन्द्रह) विश्वा, खसरा सख्या 731 (सात सौ इक्तीस) रकबा 04 (चार) वीघा 05 (पॉच) विश्वा, खसरा सख्या 790 (सात सौ नब्वे) रकबा 132 (एक सौ बतीस) वीघा 03 (तीन) बिश्वा भूमि में वादीगण के 1/8 (एक बटटा आठ) हिस्से में तथाकथित फर्जी व मिथ्या नाम गवरी बेवा श्री चोलाराम का नाम हटाकर वादीगण के नाम से घोषित किये जाने की डिक्री सादिर फरमायी जावे।

2. यह है कि खर्चा दावा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

3. कि अन्य दादरसी जो मुफिद वादीगण हो अता फरमायी जावे।

भीखाराम

वादीगण प्रेमाराम

तस्दीक :–

मै प्रेमाराम पुत्र श्री खुमाराम जाति जाट निवासी ग्रम पडासला तहसील ओसियॉ जिला जोधपुर वाला शपथपूर्वक तस्दीक करता हूँ कि वादपत्र में वर्णित तमाम तथ्य मेरी निजी जानकारी व मिली कानूनी सलाह के अनुसार सत्य व सही है। ईश्वर सत्यता में मेरी मदद करे।

प्रेमाराम

तस्दीककर्ता

OATH COMMISSIONER
Civil/Rev./Criminal
OSIAN